

कर्मचारी सुविधा

हावड़ा मंडल निम्नलिखित समयबद्ध सेवाओं के लिए अपने कर्मचारियों के प्रति प्रतिबद्ध है। हम कर्मचारियों के अधिकतम संतुष्टि के लिए वचन देते हैं। यदि ये सेवाएं किसी को समय पर प्रदान नहीं की जाती हैं तो उसे बिना किसी झिझक के अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क करना चाहिए।

मंडल रेल प्रबंधक के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार: उसी दिन, यदि मंडल रेल प्रबंधक उपलब्ध न हों तब साक्षात्कार संबंधित अपर मंडल रेल के साथ।

सेवाएं	मामलों का निपटान		सेवाएं	मामलों का निपटान	
	स्वीकार किए जाने की स्थिति में	अस्वीकार किए जाने की स्थिति में		स्वीकार किए जाने की स्थिति में	अस्वीकार किए जाने की स्थिति में
वेतन निर्धारण से संबंधित अपील	डी+25*	डी+10	अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति मामले(मंडल के मामले) (गैर विवादित मामला)	डी +90	
एम ए सी पी शिकायतों का निपटारा	डी+30*	डी+8	प्रधान कार्यालय से संबंधित अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति मामले को अग्रसारित करना जहाँ परिस्थिति की माँग है (गैर विवादित मामला)	डी +60	
उच्च शिक्षा/ प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्रदान करना	डी+14	डी+6	सेटलमेंट देय राशि का भुगतान	सेवानिवृति की तारीख पर (सामान्य सेवानिवृति)	
सेवा पंजिका में शैक्षणिक योग्यताओं की प्रविष्टियाँ	डी+40	डी+7	स्वैच्छिक सेवानिवृति, मृत्यु तथा इस्तीफा के मामले में सेटलमेंट देय राशि का भुगतान	डी +60	
तकनीकी इस्तीफा	डी+19		चयन/उपयुक्तता के माध्यम से पदोन्नति	पूर्व पैनल के जारी होने के 01 वर्ष के अंदर यदि रिक्तियाँ हों	
वेतन बढ़ोतरी	डी+30	डी+16	चयनित/ आर आर बी/आर आर सी के माध्यम से उम्मीदवारों को कॉल पत्र भेजना(आर आर बी/आर आर सी से पैनल का सत्यापन)	डी +30	
शिशु देख-भाल छुट्टी	डी+6	डी+2	अनापत्ति प्रमाण-पत्र /सम्पत्ति लेन-देन का अनुमोदन	डी +12	डी +6
किसी प्रकार के बकाया	डी+16*	डी+9	पासपोर्ट तथा प्रतिनियुक्ति के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र की स्वीकृति	डी +15	डी +6
संयुक्त स्थानांतरण की स्वीकृति	डी+13*	डी+9	अनुशासन एवं अपील नियम मामले का निपटान	दीर्घ = 150 दिन लघु = 31 दिन	
बाल शिक्षा भत्ता	डी+13*	डी +9	पास एवं पी टी ओ जारी करना	01 कार्य दिवस के अंदर	
नई नियुक्ति मामले हेतु प्रक्रिया की समाप्ति	डी +21		छुट्टी के आवेदन का निपटान	आकस्मिक छुट्टी = डी +1 औसत वेतन छुट्टी/मातृत्व	

छुट्टी नकदीकरण की स्वीकृति	डी +18*	डी +2	वरीयता सूची जारी करना	वर्ष में एक बार	
भविष्य निधि निकासी की स्वीकृति(अस्थायी/अंतिम) (यूनिटों से प्राप्त)	डी +17	डी +2	विदेश जाने हेतु छुट्टी की स्वीकृति	डी +13	
निजी अनुरोध पर स्थानांतरण *	डी +5				
पारस्परिक स्थानांतरण	डी +10				
(ऑन लाइन पंजीकृत किया जाय तथा शाखा अधिकारी द्वारा कार्मिक शाखा को परामर्श देने पर ही प्रक्रिया चालू की जाय)					
विभिन्न प्रकार के अग्रिम/ऋण का अनुमोदन	डी +7				
भविष्य निधि विवरण जारी करना	उसी दिन				
कर्मचारी की मांग पर सेवा पंजिका दिखाना	वर्ष में एक बार				

यात्रा भत्ता हेतु दावा

- i) अगले महीने की 5 वें दिन के अंदर प्रस्तुत किए जाने पर : i) उसी महीने वेतन के साथ भुगतान किया जाय।
 ii) अगले महीने की 5 वें दिन के बाद प्रस्तुत किए जाने पर : ii) उसके बाद के महीने में वेतन के साथ भुगतान किया जाय।
 iii) विलम्ब मामले, जहाँ विलम्ब की माफी हेतु सक्षम प्राधिकारीका अनुमोदन आवश्यक है। : iii) तीन महीने के अंदर वेतन के साथ भुगतान किया जाय
- यात्रा भत्ता हेतु दावा के अस्वीकार किए जाने की स्थिति में : जवाब डी+13

समयोपरि भत्ता हेतु दावा

- I) यूनिटों द्वारा वित्त के पास समयोपरि भत्ता बिल प्रस्तुत करना : I) बिलों के प्रस्तुत किए गए तारीख से 10 कार्य दिवस के अंदर
 II) लेखा द्वारा विधिवत विधिक्षित वेतन शाखा को बिलों का अग्रेषण : II) 05 कार्य दिवस के अंदर
 III) वेतन के साथ समयोपरि भत्ता बिलों को चार्ज करना। : III) महीने का वेतन के साथ, यदि बिल बंद होने के 07 दिनों के पहले प्राप्त हुआ हो।

समयोपरि भत्ता हेतु दावा अस्वीकार किए जाने की स्थिति में : जवाब डी+16

टिप्पणी:- * भुगतान अगले बिलिंग साइकिल में वेतन के साथ किया जाय।

डी - स्थापना शाखा में प्राप्त करने की तारीख

दिन का अर्थ है कार्य दिवस

सुविधाओं का विवरण रेलवे वेबसाइट नं. www.indianrailway.gov.in पर उपलब्ध है।

वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी
हावड़ा